कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर–15)

क्रमांक : – एफ 6( )उपा.राज.(सा.प्र.)/श्री.अ.पू.र.यो../ननिज/2026/328 दिनांकः 23/04/26

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) (EOI)का आमंत्रणः–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा "कोई भूखा ना सोऐ" की अवधारणा के साथ श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अन्तर्गत नगर निगम जयपुर क्षेत्र की श्री अन्नपूर्णा रसोई रामगंज बाजार, टी.बी. अस्पताल के पास शास्त्री नगर , सिंधी कैम्प बस स्टेण्ड, जनाना अस्पताल परिसर, किशनपोल जोन परिसर, बंगाली बाबा की बगीची, जिला कुष्ठ रोग अधिकारी कार्यालय के पास पुराना घाट, बर्फ खाना, एक टांग की टंकी, गणगौरी हॉस्पिटल, जेईसीसी सर्किल, सीतापुरा एवं नगर पालिका चाकसू द्वारा संधारित श्री अन्नपूर्णा रसोई निमोडिया मोड एवं कोटखावदा मोड, टोंक रोड पर स्थित रसोईयों के संचालन हेतु नवीन संचालक संस्था का चयन किया जाना है।

व्यवसायिक हित के स्थान पर सेवाभाव के आधार पर कार्य करने के इच्छुक प्रतिष्ठित गैर शासकीय/धार्मिक/स्वयं सेवी कल्याणकारी संस्था/सहकारी संस्था/फर्म/ कॉरर्पोरेट/स्थानीय स्वयं सहायता समूह/क्षेत्र स्तरीय संघ/नगर स्तरीय संघ को रसोईयों के संचालन हेतु नगर निगम जयपुर क्षेत्राधिकार में संधारित श्री अन्नपूर्णा रसोई रामगंज बाजार, टी.बी. अस्पताल के पास शास्त्री नगर , सिंधी कैम्प बस स्टेण्ड, जनाना अस्पताल परिसर, किशनपोल जोन कार्यालय के सामने, बंगाली बाबा की बगीची, जिला कुष्ठ रोग अधिकारी कार्यालय के पास पुराना घाट, बर्फ खाना, एक टांग की टंकी, गणगौरी हॉस्पिटल, जेईसीसी सर्किल, सीतापुरा एवं नगर पालिका चाकसू द्वारा संधारित श्री अन्नपूर्णा रसोई निमोडिया मोड एवं कोटखावदा मोड, टोंक रोड के संचालन हेतु दिनांक 05.05.2026 तक अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की जाती है।

श्री अन्नपूर्णा रसोईयों के स्थान का विस्तृत विवरण (EOI) में उपलब्ध है। प्रत्येक रसोई हेतु आवेदन अलग–अलग प्रस्तुत करना होगा। इच्छुक आवेदक द्वारा नगर निगम जयपुर की राजस्व अधिकारी (मु०) शाखा के कमरा नं. 221 व 226 में अपना आवेदन लिफाफे में बंद कर प्रस्तुत करना होगा। विस्तृत अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) तथा योजना के दिशा–निर्देश (गाइडलाईन) नगर निगम जयपुर की वेबसाईट http://jaipurmc.org से प्राप्त/डाउनलोड की जा सकती है।

अतिरिक्त आयुक्त
नगर निगम जयपुर

कार्यालय नगर निगम जयपुर

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना
(SHREE ANNAPURNA RASOI YOJANA)

के तहत स्थायी रसोईयों के संचालन हेतु

पंजीकृत प्रतिष्ठित गैर शासकीय/धार्मिक/स्वयं सेवी कल्याणकारी संस्था सहकारी संस्था/फर्म/कॉर्पोरेट/स्थानीय स्वयं सहायता समूह/क्षेत्र स्तरीय संघ/ नगर स्तरीय संघ को नगर निगम जयपुर क्षेत्र की श्री अन्नपूर्णा रसोई, रामगंज बाजार, टी.बी. अस्पताल के पास शास्त्री नगर ,सिंधी कैम्प बस स्टेण्ड, जनाना अस्पताल परिसर, किशनपोल जोन कार्यालय के सामने, बंगाली बाबा की बगीची, जिला कुष्ठ रोग अधिकारी कार्यालय के पास पुराना घाट, बर्फ खाना, एक टांग की टंकी, गणगौरी हॉस्पिटल, जेईसीसी सर्किल, सीतापुरा एवं नगर पालिका चाकसू द्वारा संधारित श्री अन्नपूर्णा रसोई निमोडिया मोड एवं कोटखावदा मोड, टोंक रोड को सूचीबद्ध (Empanel) एवं चयन करने हेतुः–

"अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)(EOI) का आमंत्रण ।

अभिरूचि की अभिव्यक्ति को नगर निगम जयपुर में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

दिनांक 05.05.2026 को सायं 05:00 बजे तक

नगर निगम जयपुर

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अन्तर्गत स्थायी रसोईयों के संचालन हेतु नगर निगम जयपुर क्षेत्राधिकार में संधारित रामगंज बाजार, टी.बी. अस्पताल के पास शास्त्री नगर, सिंधी कैम्प बस स्टेण्ड, जनाना अस्पताल परिसर, किशनपोल जोन कार्यालय के सामने, बंगाली बाबा की बगीची पर, जिला कुष्ठ रोग अधिकारी कार्यालय के पास पुराना घाट, बर्फ खाना, एक टांग की टंकी, गणगौरी हॉस्पिटल, जेईसीसी सर्किल, सीतापुरा एवं नगर पालिका चाकसू द्वारा संधारित श्री अन्नपूर्णा रसोई निमोडिया मोड एवं कोटखावदा मोड टोंक रोड की श्री अन्नपूर्णा रसोईयों के संचालन हेतु कार्यकारी संस्थाओं का सूचीबद्ध (Empanel) व चयन करने हेतु

अभिरूची की अभिव्यक्ति (Exressions of Interest& EOI) का आमंत्रण।

1 परिचयः–माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा "कोई भूखा ना सोऐ" की अवधारणा के साथ श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अन्तर्गत नगर निगम जयपुर क्षेत्र की श्री अन्नपूर्णा रसोई, रामगंज बाजार, टी.बी. अस्पताल के पास शास्त्री नगर , सिंधी कैम्प बस स्टेण्ड, जनाना अस्पताल परिसर, किशनपोल जोन कार्यालय के सामने, बंगाली बाबा की बगीची, जिला कुष्ठ रोग अधिकारी कार्यालय के पास, पुराना घाट, बर्फ खाना, एक टांग की टंकी, गणगौरी हॉस्पिटल, जेईसीसी सर्किल, सीतापुरा एवं नगर पालिका चाकसू द्वारा संधारित श्री अन्नपूर्णा रसोई निमोडिया मोड व कोटखावदा मोड, टोंक रोड के संचालन हेतु नवीन रसोई संचालक संस्थाओं का चयन किया जाना हैं। इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को दो समय (दोपहर एवं रात्रिकालीन) का शुद्ध व पौष्टिक भोजन रियायती दर से उपलब्ध कराया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को 8/– रू प्रतिथाली की दर पर दोपहर एवं 8/– रू प्रतिथाली की दर से रात्रिकालीन भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा। योजना की विस्तृत गाईडलाईन विभाग की वेबसाईट (http://jaipurmc.org) पर उपलब्ध है।

2 **मुख्य नियम व शर्तेंः**– संस्था के सूचीबद्ध व चयन करने उनके कार्य व दायित्व तथा चयनित संस्था को भुगतान करने से सम्बन्धित मुख्य नियम/शर्तें निम्नानुसार हैः–

1 श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के संचालन का मूल उद्देश्य न्यूनतम लागत पर जरूरतमंद आमजन को सेवा आधार पर भोजन उपलब्ध कराना है। अतः व्यावसायिक हित को मूल आधार ना मानते हुए केवल सेवाभाव के आधार पर ही आवेदन किया जाना अपेक्षित है।

2 इच्छुक आवेदक प्रत्येक रसोई हेतु पृथक–पृथक आवेदन निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट 'अ' में नगर निगम जयपुर को प्रस्तुत करेंगे जिसकी सूची परिशिष्ठ 'ब' पर संलग्न है।

3 नगर निगम जयपुर क्षेत्र की श्री अन्नपूर्णा रसोई रामगंज बाजार, टी.बी. अस्पताल के पास शास्त्री नगर, सिंधी कैम्प बस स्टेण्ड, जनाना अस्पताल परिसर, किशनपोल जोन कार्यालय के सामने, बंगाली बाबा की बगीची, जिला कुष्ठ रोग अधिकारी कार्यालय के पास पुराना घाट, बर्फ खाना, एक टांग की टंकी, गणगौरी हॉस्पिटल, जेईसीसी सर्किल, सीतापुरा एवं नगर पालिका चाकसू द्वारा संधारित श्री अन्नपूर्णा रसोई निमोडिया मोड एवं कोटखावदा मोड, टोंक रोड चाकसू के संचालन हेतु नवीन संस्था का चयन जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनिटरिंग समिति द्वारा किया जायेगा। रसोई के संचालन हेतु प्रतिष्ठित गैर शासकीय/धार्मिक/स्वयंसेवी कल्याणकारी संस्था/सहकारी संस्था/फर्म/कॉर्पोरेट/

स्थानीय स्वयं सहायता समूह/क्षेत्र स्तरीय संघ/इत्यादि से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

4 चयनित संस्था का एमपैनलमेन्ट व चयन प्रथमतया 3 वर्ष तक के लिये किया जायेगा जिसे आपसी सहमति से बढाया जा सकता हैं। संस्था की परफोरमेन्स व कार्य व्यवहार संतोषजनक नहीं पाये जाने या किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने व शिकायत की जांच/सत्यापन में सही पाये जाने पर संस्था का चयन जिलास्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति, जयपुर द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। ऐसी संस्थाओं को भविष्य में आवेदन हेतु अयोग्य माना जायेगा।

5 संचालक संस्था का एमपैनलमेन्ट व चयन उसकी सक्षमता, कार्यानुभव, सेवाभाव एवं कार्यकलापों के आधार पर किया जायेगा।

6 चयनित संचालक संस्था को किसी भी परिस्थिति में अन्य संस्था को Sub-Contract या Partnesrship में कार्य आवंटित करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी स्थिति में संचालक संस्था का चयन निरस्त किया जा सकेगा।

7 चयनित संचालक संस्था द्वारा चयन के अधिकतम सात दिवस में नगर निगम जयपुर व संबंधित नगर पालिका के मध्य संलग्न (प्रारूप परिशिष्ट 'स') के अनुसार में रूपये 500/– के स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध करार (Agreement) अनिवार्य रूप से करना होगा, अन्यथा उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

8 एक संस्था एक से अधिक रसोई हेतु आवेदन कर सकेगी।

9 रसोईयों के संचालन हेतु भुगतान नगर निगम जयपुर द्वारा संचालक संस्थाओं को जारी किये जाने वाले कार्यादेश में वर्णित दरों के अनुसार किया जायेगा।

10 चयनित संस्था को जारी कार्यादेश अनुसार कार्य प्रारम्भ किया जाना अनिवार्य होगा। संस्था का आवंटित कार्यादेश की समय पर पालना नहीं करने की स्थिति में या किसी भी अन्य कारण से संस्था का चयन निरस्त होने या संस्था द्वारा कार्य छोडने पर एम्पैनलमेन्ट में से उससे कम वरीयता वाले संस्था या रसोई की गाईड लाईन के अनुसार नवीन संस्था को कार्य आवंटित किया जा सकेगा।

3. प्रतिभूति (Security)– आवेदन–पत्र के साथ प्रत्येक रसोई हेतु निम्नानुसार राशि का डिमाण्ड ड्राफ्टड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगाः–

1 नगर निगम जयपुर की की प्रत्येक रसोई हेतु प्रतिभूति राशि–15,000/– रू.

2 नगर परिषद्/पालिका की प्रत्येक रसोई हेतु प्रतिभूति राशि–10,000/–रूपये

उपरोक्त राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट, आयुक्त, नगर निगम जयपुर के पक्ष में देय होगा। चयन प्रकियापूर्ण होने पर असफल आवेदकों (ऐम्पेनलमेन्ट हेतु चयन नहीं होने पर) को प्रतिभूति राशि वापस लौटा दी जायेगी तथा ऐम्पेनलमेन्ट में सम्मिलित संस्थाओं की यह राशि ऐम्पेनलमेन्ट/चयन अवधि समाप्त होने पर ही लौटायी जायेगी।

यदि कोई संस्था राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि नहीं लेने का प्रस्ताव देती है (स्वयं के स्तर से वहन करती है) तो उससे प्रतिभूति राशि नहीं ली जायेगी।

4. **अनिवार्य योग्यता (Eligiblity Criteria)**– आवेदन करने वाली संस्था को Empanel एवं चयन हेतु निम्नानुसार योग्यता होना आवश्यक है:–

1 आवेदन करने वाली संस्था का पंजीयन किसी भी एक राजकीय संस्था में निम्न अधिनियम के तहत होना आवश्यक है यथा देव स्थान ट्रस्ट एक्ट 1882 में पंजीयन, कॉपरेटिव एक्ट 1958 में पंजीयन, कम्पनी एक्ट 2013 में पंजीयन, साझेदारी एक्ट 1932 में पंजीयन, भारतीय न्यास अधिनियम– 1882 पंजीयन।

2 संस्था को PAN नं० की प्रति संलग्न करनी होगी।

3 संस्था को जीएसटी नं० की प्रति संलग्न करनी होगी यदि जीएसटी में पंजीयन नही है तो कार्यादेश में वर्णित दर के अनुसार प्रतिवर्ष की अनुमानित लागत के आधार पर जीएसटी प्रावधान लागू होने पर संस्था को नियमानुसार जीएसटी पंजीयन करवाना होगा।

5. **संस्था की चयन प्रकिया**– प्राप्त प्रस्तावों का निरीक्षण कर उसकी सक्षमता, कार्यानुभव, सेवाभाव एवं कार्यकलापों के आधार पर निम्नानुसार क्रम में वरीयता देते हुऐ Empanel एवं चयन किया जायेगा।

(1) जिन संस्थाओं का स्वयं का भवन हो और राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान नहीं लेकर स्वयं के स्तर से योजना के मानदंडो के अनुसार रसोई का संचालन करने का प्रस्ताव दें।

(2) जो संस्था राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान राशि न लेकर योजना के मानदंडो के अनुसार रसोई का संचालन करने का प्रस्ताव दें।

(3) जिन संस्थाओं का/स्वपोषित किराये का भवन हो जो पूर्व में ऐसा कार्य कर रही हो।

(4) प्रतिष्ठित स्थानीय संस्थाओं को प्राथमिकता दी जावेगी। स्थानीय संस्थाओं के एकाधिक आवेदन प्राप्त होने पर अधिक अनुभव वाली संस्था को प्राथमिकता दी जावेगी।

(5) ऐसी संस्था जो पूर्व में ही रसोई संचालित कर रही है वे भी योजना से जुड सकती है। उन्हे अपनी रसोई में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का LOGO प्रदर्शित करना होगा। साथ ही योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा।

उपरोक्त वरीयता में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक संस्था की वित्तीय स्थिति, कार्यानुभव, कार्यक्षमता इत्यादि के आधार पर चयन हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति, अधिकृत होगी।

6. चयन समिति–प्राप्त आवेदन पत्रों में से संचालक संस्था का चयन गाईडलाईन के बिन्दु कमांक 4.2 के अनुसार गठित जिला स्तरीय मॉनिटरिंग एवं समन्वय समिति, जयपुर द्वारा किया जायेगा।

7. विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाली रसोई एवं संसाधन

1. स्थान– उक्त में से स्थान की अनुपलब्धता होने पर किराये के भवन में रसोई का संचालन किया जा सकेगा जिसका भुगतान योजना के आवर्ति व्यय मद से किया जा सकेगा। यदि कोई संस्था रसोई संचालन हेतु अपने स्वयं का भवन अथवा संस्था के द्वारा स्वपोषित किराये के भवन का प्रस्ताव देती है तो (EOI) में वर्णित वरीयता के अनुसार प्राथमिकता दी जायेगी।

2. <u>आधारभूत व्यय</u> – प्रत्येक रसोई हेतु निम्नांकित आधारभूत संसाधन नगर निगम जयपुर द्वारा उपलब्ध कराये जायेगें– (i) भवन की एकरूपता साज–सज्जा (ii) पेयजल, विद्युत एवं गैस कनेक्शन (iii) रसोई हेतु बर्तन, बर्तन स्टेण्ड, खाना बनाने का प्लेटफॉर्म, गैस चूल्हा, वेजिटेबल स्टेण्ड, गैस भट्टी, चिमनी, वाटर कूलर, आर.ओ. सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, डीपफ्रिज, चपाती वार्मर, सब्जी वार्मर, मिक्सर ग्राइण्डर, आटा गूंथने की मशीन (iv) कम्प्यूटर, लेजर प्रिन्टर, इन्टरनेट, सीसीटीवी केमरा सिस्टम (v) टेबल–कुर्सी एवं अन्य फर्नीचर (vi) सैनिटाईजर एवं मास्क (vii) कार्मिकों की यूनिफार्म एवं जिला समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति, जयपुर द्वारा निर्देशित अन्य कार्य पर व्यय किया जायेगा। उपरोक्त संसाधनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सम्बन्धित संचालक संस्था की होगी।

3. <u>आवर्ती व्यय</u>–प्रत्येक रसोई हेतु निम्नांकित संसाधन पर होने वाला आवर्ती व्यय नगर निगम जयपुर द्वारा किया जायेगा। (i) पेयजल, इन्टरनेट एवं विद्युत के बिलों का भुगतान (ii) भवन के रंग रोगन, मरम्मत एवं साज–सज्जा का कार्य (iii) सैनिटाइजर एवं मास्क (iv) आवश्यकतानुसार खराब बर्तन एवं केटरिंग सामान का रिप्लेसमेन्ट (v) सरकारी भवन की अनुपलब्धता की स्थिति में भवन का किराया (vi) कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय का भुगतान एवं जिला समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति, जयपुर की अनुशंषा पर रसोई के सुचारू संचालन में होने वाला अन्य व्यय आदि का भुगतान किया जायेगा।

8. **<u>खाने की संख्या–रसोई</u>** नगर निगम जयपुर क्षेत्राधिकार में संधारित श्री अन्नपूर्णा रसोई हेतु प्रति रसोई प्रतिदिन अधिकतम 200 थाली लंच एवं 200 थाली डिनर एवं नगर परिषद/नगर पालिका क्षेत्राधिकार में संधारित श्री अन्नपूर्णा रसोई हेतु प्रति रसोई प्रतिदिन अधिकतम 100 थाली लंच एवं 100 थाली डिनर राज्य स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति, जयपुर की अनुशंषा पर भोजन की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी। संस्था द्वारा लाभार्थी को बैठाकर ससम्मान भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा।

9. **मैन्यूः**– रसोई योजनान्तर्गत भोजन में चपाती, दाल, सब्जी एवं आचार, चावल/मिलेट्स सम्मिलित की जायेगी तथा स्थानीय समिति द्वारा आवश्यकतानुसार मैन्यू में स्थानीय स्वादानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। भोजन में प्रतिथाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम चावल/मिलेट्स (श्री अन्न) खिचडी एवं आचार दिया जायेगा।

10. सामान्यतः दोपहर का भोजन प्रात 08.30 बजे से मध्यान्ह 02.00 बजे तक एवं रात्रिकालीन भोजन सायं 05.00 बजे से 08.00 बजे तक उपलब्ध कराया जायेगा, किन्तु जिला स्तरीय समन्वय समिति, जयपुर अपने स्तर पर समय में परिवर्तन कर सकेगी। सर्दी एवं गर्मी के मौसम में आवश्यकतानुसार समय में परिवर्तन किया जा सकेगा।

11. जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति, स्थानीय स्वादानुसार भोजन का मैन्यू निर्धारित करेगी। सप्ताह के प्रत्येक दिन मैन्यू भी स्थानीय स्वादानुसार समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

12. <u>लाभार्थी से ली जाने वाली राशि एवं देय अनुदान राशिः–</u>

1. लाभार्थी से दोपहर के भोजन हेतु 8 रू प्रति थाली एवं रात्रिकालीन भोजन हेतु 8 रू प्रति थाली लिए जायेंगे।

2. राज्य सरकार द्वारा दोपहर भोजन हेतु प्रतिथाली 22 रू एवं रात्रिकालीन भोजन हेतु प्रतिथाली 22 रू की राशि अनुदान के रूप में सम्बन्धित संस्था को दी जाएगी। नियमानुसार जीएसटी राशि का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

3. यदि कोई संस्था अनुदान राशि नहीं लेने का प्रस्ताव देती है तो प्रस्ताव युक्ति युक्त पाये जाने की स्थिति में उस पर EOI में वर्णित वरीयता के अनुसार विचार किया जाऐगा। इस सम्बध में जिला स्तरीय मॉनिटरिंग एवं समन्वय समिति, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।

13 <u>दान व जन सहभागिता</u> – इस योजना में व्यक्तिगत/संस्था/कॉर्पोरेट/फर्म आर्थिक सहयोग कर सकती है। दान/सहयोग मुख्यमंत्री सहायता कोष अथवा रजिस्टर्ड जिला स्तरीय श्री अन्नपूर्णा रसोई के बैंक खाते में ही किया जा सकेगा। रसोई में विभिन्न दानदाताओं द्वारा अपने परिजनों की वर्षगांठ जन्मदिवस या अन्य किसी उपलक्ष्य में दोपहर/रात्रि या दोनो समय का भोजन प्रायोजित कर सकते हैं, भोजन के लागत मूल्य का भुगतान प्रायोजक द्वारा रसोई संचालक को किया जाएगा। आगंतुकों के लिए प्रायोजित भोजन प्रायोजित सीमा तक निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। इस आशय का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर सम्बन्धित संस्था द्वारा किया जा सकेगा कि आज का भोजन श्री........................... द्वारा. ....कारण........................... से प्रायोजित है। प्रायोजक व्यक्ति द्वारा लागत राशि का भुगतान सम्बन्धित बैंक खाते में/रसोई संचालक को किया जाएगा, जिसकी ऑनलाईन प्राप्ति रसीद दी जायेगी। भोजन प्रायोजित करने वाले व्यक्ति को निदेशालय स्तर से प्रशस्ति–पत्र प्रदान तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार की ओर से अभिनन्दन पत्र दिया जाएगा। (प्रशस्ति पत्र एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से अभिनन्दन पत्र श्री अन्नपूर्णा रसोई पोर्टल के माध्यम से ऑटोजनरेट) ताकि अन्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर सकें। रसोई संचालित करने वाली संस्था द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर किसी से भी रसोई प्रयोजनार्थ दान/सहयोग नहीं लिया जायेगा परन्तु ऐसी संस्थायें सीधे रूप से दान एवं जनसहयोग की राशि ले सकेगी, जो राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान राशि न लेकर अपने स्तर से योजना के मापदण्डों के अनुसार कार्य करेगी।

14 <u>भुगतान प्रकिया</u> – योजना के दिशा–निर्देशानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

15. <u>संस्था की भूमिका एवं दायित्व</u>– जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति, जयपुर से चयनित संस्था रसोई के सुचारू संचालन हेतु उत्तरदायी होगी। चयनित संस्था जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति, जयपुर तथा नगरीय निकाय के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में कार्य करेगी। चयनित संस्था द्वारा जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति सम्बन्धित निकाय व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये/किये जाने वाले निर्देशों की अक्षरक्षः पालना करनी होगी। संस्था के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार होंगेः–

1. संस्था द्वारा लाभार्थियों को स्वच्छ, गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन सम्मान पूर्वक बैठाकर उपलब्ध कराया जावेगा।
2. संस्था द्वारा भोजन बनाने हेतु रसद व अन्य सामग्री यथा आटा, दाल, सब्जी, तेल, मसाले इत्यादि स्वयं के खर्चे पर क्रय किये जायेंगे। स्थानीय निकाय द्वारा बिल प्राप्त होने पर केवल अनुदान का भुगतान किया जायेगा।
3. भोजन बनाने एवं वितरण करने से सम्बन्धित समस्त कार्य तथा केन्द्र को साफ–सुथरा रखने के लिए आवश्यक कार्मिक एवं साधनों की व्यवस्था संस्था द्वारा की जावेगी।
4. संस्था द्वारा भोजन बनाने एवं वितरण करने से सम्बन्धित कार्य हेतु लगाये गये कार्मिकों का वेतन भुगतान एवं आधारभूत/आवर्ती संसाधनों के अतिरिक्त उपयोग में लिए जा रहे साधनों का क्रय भी स्वयं के स्तर पर किया जावेगा।
5. भोजन व्यवस्था के लिए लगने वाले ईधन/गैस की व्यवस्था संस्था द्वारा स्वंय के स्तर पर की जावेगी।
6. संस्था को जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति, जयपुर की सलाह से सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए स्थानीय स्वादानुसार मैन्यू तैयार करना होगा। संस्था द्वारा भोजन का मैन्यू मूल्य एवं समय का विवरण रसोई के आस–पास सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।
7. रसद एवं अन्य सामग्री तथा रसोई पर हो रहे आय व्यय का सम्पूर्ण ब्यौरा संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप में संधारित किया जायेगा, जो कम्प्यूटरीकृत होगा। यह समस्त जानकारियां पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होगी। जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति, जयपुर द्वारा संस्था को दिए गए अनुदान की जॉच कर सकेगी।
8. लाभार्थियों से भोजन हेतु राशि नगद के अलावा ऑनलाईन तथा पेटीएम, फोन पे इत्यादि के माध्यम से भी ली जा सकेगी।
9. लाभार्थी के रसोई में आगमन पर योजना हेतु विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाभार्थी का फोटो खींचकर नाम व मोबाइल नं० अंकित कर लाभार्थी से निर्धारित राशि प्राप्त करने के पश्चात् कूपन जारी किया जायेगा, तत्पश्चात ही भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा। भोजन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पहचान हेतु आधार अथवा अन्य कोई दस्तावेज नही लिया जायेगा।
10. संस्था द्वारा वितरित भोजन की संख्या के आधार पर अनुदान हेतु मासिक बिल सम्बन्धित नगर निकाय को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा। संस्था नगर निकाय से बिलों को प्रमाणित करवाकर बिल भुगतान हेतु मुख्यालय नगर निगम जयपुर के आहरण वितरण अधिकारी को भिजवाने मे सहयोग करेगी।
11. संस्था का यह दायित्व होगा कि कोई भी व्यक्ति जो रसोई पर नियत समय सीमा में भोजन के लिये आ रहा है तो वह बिना भोजन के वापिस नहीं जावे।
12. प्रत्येक रसोई पर प्राथमिक उपचार/अग्निसुरक्षा उपकरण एवं सैनिटाईजर आदि चयनित संस्था द्वारा रखे जावेंगे।
13. रसोई का संचालन नियमित रूप से करना होगा। अपरिहार्य स्थिति में रसोई का संचालन नहीं कर पाने की स्थिति में सम्बन्धित नगरीय निकाय से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
14. आधारभूत मद से उपलब्ध कराये गये आधारभूत संसाधनों की जिम्मेदारी संचालक संस्था की होगी। चोरी होने अथवा खोने की स्थिति में संस्था द्वारा स्वयं के स्तर पर क्रय करना होगा। अनुबन्ध अवधि समाप्त होने के बाद उपलब्ध कराये गये समस्त संसाधनों को सम्बन्धित नगरीय निकाय को लौटाने होंगे।

15. कार्यकारी संस्था को योजना से सम्बन्धित विवरण एवं LOGO डिस्प्लेबोर्ड पर या साईनबोर्ड के माध्यम से रसोई के बाहर एवं अन्दर प्रदर्शित करना होगा।
16. **मॉनिटरिंग व्यवस्था** – योजना के दिशा–निर्देशानुसार मॉनिटरिंग की जावेगी।
17. किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति होने पर जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा। समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
18. **आवेदन पत्र भरने हेतु दिशा–निर्देश**– आवेदन पत्र सम्पूर्ण रूप से भरकर इसके साथ निम्न दस्तावेज संलग्न कर नगर निगम, जयपुर के राजस्व अधिकारी (मुख्यालय) अनुभाग में जमा कराना होगाः–

1. आवेदन पत्र हस्ताक्षर सहित लिफाफे में बंद कर।
2. प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट आयुक्त, नगर निगम, जयपुर के नाम के पक्ष में देय होगा।
3. EOI की प्रति (प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित मय संस्था की मोहर)।
4. फर्म का नाम व पूर्ण पता
5. संस्था के पंजीयन के प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
6. पेनकार्ड / जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सत्यापित प्रतिलिपि।
7. अनुभव सम्बन्धी दस्तावेज यदि उपलब्ध हो तो।
8. फूड लाईसेन्स की सत्यापित प्रतिलिपि।
9. बैंक खाता का सम्पूर्ण विवरण मय कैन्सिल चैक की सत्यापित प्रतिलिपि।
10. मोबाईल नम्बर
11. फर्म की स्थिति (स्थानीय / बाहरी)

अतिरिक्त आयुक्त
नगर निगम जयपुर

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना
आवेदन–पत्र
(प्रत्येक रसोई हेतु अलग–अलग आवेदन करें)

क्र.सं.	विषय वस्तु	विवरण		पृष्ठ संख्या अंकित करे
1	रसोई का नाम जिसकी रसोई हेतु आवेदन किया जा रहा है।			
2	रसोई का कार्यक्षेत्र/स्थान अथवा रसोई क्रमांक			
3	आवेदक संस्था का नाम			
4	आवेदक संस्था का प्रकार			
5	संस्था प्रधान का नाम			
6	संस्था के कार्यालय का सम्पूर्ण पता मय पिनकोड			
7	संस्था का सम्पर्क सूत्र	मोबाईल..................................		
8	संस्था का ई–मेल			
9	संस्था का पंजीयन व सम्बन्धित दस्तावेज	हां	ना	
10	संस्था का पेन नं0 व सम्बन्धित दस्तावेज	हां	ना	
11	संस्था का जीएसटी व सम्बन्धित दस्तावेज	हां	ना	
12	संस्था के बैंक खाते का विवरण (निरस्त चैक की प्रति संलग्न करें)	हां	ना	
13	प्रतिभूति राशि का विवरण व दस्तावेज	हां	ना	
14	संस्था के सम्बन्धित कार्यक्षेत्र में अनुभव का विवरण व सम्बन्धित दस्तावेज	हां	ना	
15	यदि संस्था को किसी भी केन्द्र/राज्य सरकार की संस्था द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है अथवा नहीं (केवल हॉ/नही अंकित करें)	हां	ना	
16	संस्था रसोई का संचालन जिस भवन में करेगी उसका विवरण	केवल एक का ही चयन कर निर्धारित स्थान पर विवरण भरें:– ▪ संस्था का स्वयं का भवन ▪ संस्था द्वारा स्वपोषित किराये का भवन ▪ राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले भवन		
17	वित्तीय प्रस्ताव–यदि राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान लेना चाह रहे है अथवा नहीं (केवल हॉ/नही अंकित करें)	हां	ना	
18	**EOI** के समस्त पृष्ठ हस्ताक्षरित मय संस्था की सील (संलग्न कर पृष्ठ क्रमांक अंकित करना अनिवार्य)			

उपरोक्त वर्णित समस्त सूचना मेरे द्वारा पूर्ण सत्यता से भरी गई है। यदि भविष्य में उपरोक्त में से कोई भी सूचना गलत पायी जाती है तो मै उसका पूर्ण जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी

आवेदनकर्ता संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय मोहर

क्र.सं..	जिला का नाम जयपुर	चयनित स्थान का नाम	रसोई की संख्या	जोन/नगर पालिका	निकाय का नाम जहॉ आवेदन प्रस्तुत करना है
1.	जयपुर	रामगंज बाजार	1	आदर्श नगर जोन	नगर निगम जयपुर कमरा नं0 221/226
2.		टी.बी. अस्पताल के पास शास्त्री नगर	1	सिविल लाईन जोन	
3		सिन्धी कैम्प बस स्टेण्ड	1	सिविल लाईन जोन	
4		जनाना अस्पताल परिसर	1	सिविल लाईन जोन	
5		किशनपोल जोन कार्यालय के सामने	1	आदर्श नगर जोन	
6		बंगाली बाबा की बगीची	1	आदर्श नगर	
7		जिला कुष्ठ रोग अधिकारी कार्यालय के पास पुराना घाट	1	आदर्श नगर	
8		बर्फ खाना	1	आदर्श नगर	
9		एक टांग की टंकी	1	आदर्श नगर	
10		गणगौरी हॉस्पिटल परिसर	1	हवामहल–आमेर	
11		जेईसीसी सर्किल, सीतापुरा	1	झालाना जोन	
12.		निमोडिया मोड चाकसू	1	नगर पालिका चाकसू	
13.		कोटखावदा मोड, टोंक रोड चाकसू	1	नगर पालिका चाकसू	
कुल			13		

प्रारूप

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना

अनुबंध (Agreement) संख्या....................../2026

यह अनुबंध नगर निगम/नगर परिषद/पालिका जरीये आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी

प्रथम पक्ष

संचालक संस्था .... समन्वयक/प्रबंधक श्री/श्रीमती........................
....

द्वितीय पक्ष

यह अनुबंध श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत नगर निगम जयपुर......................... (क्षेत्र का नाम) में स्थापित रसोई ....(रसोई का स्थान मय पता) के संचालन के संबंध में गतिविधियों के लिए संचालक संस्था के रूप में... (फर्म का नाम) द्वारा सेवाए प्रदान करने के लिए सम्पादित किया गया है कि :-

1. कार्य:-
   I. **संचालक संस्था (द्वितीय पक्ष) राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन**, EOI कार्यादेश व इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये/किये जाने वाले निर्देशों के अनुरूप संचालक संस्था के रूप सेवाए प्रदान करेगी।
   II. संचालक संस्था द्वारा लाभार्थी के रसोई में आगमन पर योजना हेतु विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से फोटो से फोटो खींचकर, नाम व मोबाईल नंबर अंकित कर निर्धारित राशि प्राप्त करने के बाद कूपन जारी किया जायेगा, तत्पश्चात् ही भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा। संचालक संस्था (द्वितीय पक्ष) द्वारा भोजन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की पहचान हेतु आधार या अन्य कोई दस्तावेज नहीं लिया जायेगा।

2. समयावधि:-
   I. कार्यादेश जारी करने की दिनांक से 3 वर्ष हेतु यह अनुबंध प्रभावी रहेगा, जिसे आपसी सहमति सहमति से बढाया जा सकेगा।
   II. अनुबंध अवधि के संबंध में अन्य कार्यवाही गाईडलाईन एवं EOI में वर्णित दिशा-निर्देशों/शर्तों के अनुसार की जावेगी।
   III. संस्था की परफोरमेन्स व कार्य व्यवहार संतोषजनक नही पाये जाने या किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने व जांच/सत्यापन में शिकायत सही पाये जाने पर जिला स्तरीय समिति द्वारा चयन निरस्त किया जा सकेगा ऐसी संस्था को भविष्य के लिए अयोग्य माना जायेगा।

3. **भोजन की दर एवं भुगतान:-**
   I. संचालक संस्था (द्वितीय पक्ष) द्वारा लाभार्थी से दोपहर एवं रात्रिकालिन भोजन हेतु 8-8 रूपये प्रतिथाली लिये जायेगे।
   II. संचालक संस्था (द्वितीय पक्ष) को कार्यादेश में वर्णित दर के अनुसार वितरित किये गये दोपहर एवं रात्रिकालीन भोजन हेतु प्रति थाली की दर से अनुदान राशि दी जायेगी। नियमानुसार जीएसटी राशि का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
   III. संचालक संस्था (द्वितीय पक्ष) को अनुदान नियमानुसार देय जीएसटी राशि का भुगतान प्रतिमाह किया जायेगा। भुगतान प्रक्रिया योजना की दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
   IV. संचालक संस्था (द्वितीय पक्ष) द्वारा प्रस्तुत बिलों को संबंधित नगर निकाय द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। इसके प्रमाणिकरण का आधार स्टेट डाटा सेन्टर में वर्णित इकाईया होगी।

4. **सब कॉन्ट्रेक्ट एवं पार्टनरशिप:-**
   संचालक संस्था (द्वितीय पक्ष) को आवंटित कार्य या उसका कोई भी हिस्सा किसी भी परिस्थिति में उसके द्वारा किसी अन्य संस्था को कॉन्ट्रेक्ट व पार्टनरशिप पर नही दिया जा सकेगा।

5. **अनुबंध के लिए विधि न्याय का क्षेत्र**:-यह अनुबंध भारत तथा राजस्थान राज्य की विधि के तहत क्रियान्वित किया जायेगा। सभी विवादों का न्याय का क्षेत्र जयपुर होगा।

6 **क्षतिपूर्ति** :-आधारभूत मद से उपलब्ध करायी गए आधारभूत संसाधनों की जिम्मदेरी संचालक संस्था की होगी। चोरी होने अथवा खोने की स्थिति में संस्था द्वारा स्वयं के स्तर पर क्रय कर उपलब्ध कराना

होगा। संचालक संस्था द्वारा अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद उपलब्ध करवाये गये समस्त संसाधनों को संबंधित नगरीय निकाय को लौटाने होगें।

7 वाद–विवादः–

अनुबंध अवधि में किसी भी प्रकार के वाद–विवाद होने स्थिति में संचालक संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, संचालक संस्था को दिया गया कार्यादेश एवं राज्य सरकार द्वारा जारी EOI तथा योजना के राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति द्वारा निपटारा किया जायेगा।

8. अनुबंध का भागः–संचालक संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, संचालक संस्था को दिया गया कार्यादेश, विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(ग)/पीडी/डीएलबी/इ.र.यो/20/3704 दिनांक 02.08.2020 द्वारा योजना की जारी की गयी गाईड लाईन (यथा संशोधित) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी EOI अनुबंध के भाग होगें।

नगर निकाय की ओर से हस्ताक्षर................................... नाम....................................... पदनाम....................................	संचालक संस्था की ओर से हस्ताक्षर................................... नाम....................................... पदनाम....................................
गवाह 1.. 2..	गवाह 1.. 2..